

25 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पारिस्थिकी एवं पर्यावरण:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- कोबरा में विषाक्त पदार्थों के लिए शक्तिशाली एंटीडोट्स (मारक):

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

1. भारतीय नाविक अस्थिर समुद्री क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के हकदार हैं:

सामाजिक मुद्दे:

1. स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत:

F. प्रौलिम्स तथ्य:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि पशु-मानव संघर्षों का समाधान नहीं किया गया तो कोई भी जंगल या वन्यजीव नहीं बचेगा:
2. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ईवीएम माइक्रोकंट्रोलर पार्टियों या उम्मीदवारों को नहीं पहचानते:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी:

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

मुख्य: वायु प्रदूषण (Air Pollution)।

प्रसंग:

- 2019 में शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme (NCAP)) का उद्देश्य 2024 तक वायुमंडलीय कण पदार्थ (PM) सांदर्भता को 20-30% तक कम करना है, जिसे 2017 के स्तर से 2026 तक 40% तक संशोधित किया गया है।

एनसीएपी के तहत शहरों की भूमिका:

- लगातार उच्च वार्षिक पीएम स्तर वाले शहरों को स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएएपी) का मसौदा तैयार करने और निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए ₹ 10,422.73 करोड़ आवंटित किए हैं।
- अधिकांश शहरों ने अपने सीएएपी प्रस्तुत किए, लेकिन कार्यान्वयन असंगत रहा है और औसतन केवल 60% धनराशि का उपयोग किया गया; विशाखापत्तनम और बैंगलुरु जैसे कुछ शहरों ने अपने आवंटित धन का बमुश्किल उपयोग किया है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- तकनीकी विशेषताओं और खरीद के लिए अधिकारियों से धीमी मंजूरी के कारण देरी हुई।

- मानक संचालन प्रक्रियाओं और अच्छी तरह से परिभाषित समयसीमा की कमी के कारण देरी होती है।
- प्रस्तावित समाधानों की प्रभावशीलता के बारे में नौकरशाही बाधाएँ और संदेह, जैसे स्मॉग टावरों की अप्रभावीता, कार्यान्वयन में अनिच्छा को बढ़ाते हैं।

वैज्ञानिक उपकरणों का महत्व:

- प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और उनके योगदान को समझने के लिए उत्सर्जन सूची (ईआई) और स्रोत विभाजन (एसए) अध्ययन महत्वपूर्ण हैं।
- ईआई भविष्य के उत्सर्जन को प्रोजेक्ट करने और लक्षित नियंत्रण रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद करता है लेकिन सीमा पार प्रदूषण का आकलन करने में संघर्ष करता है।
- एसए स्थानीय और दूर के प्रदूषण स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है लेकिन इसमें पूर्वानुमान क्षमताओं का अभाव है और महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता है।

वैज्ञानिक डेटा का अनुप्रयोग:

- शहरों को प्रदूषकों की पहचान करने और विशिष्ट शमन उपायों को डिजाइन करने के लिए ईआई और एसए डेटा का उपयोग करना चाहिए।
- केवल 37% शहरों ने इन अध्ययनों को पूरा किया है, जिससे विस्तृत उत्सर्जन की डाटा की कमी के कारण CAAPs के अप्रभावी होने का कारण बन रहा है।

एकाग्रता डेटा पर एनसीएपी के फोकस के साथ चुनौतियाँ:

- प्रदूषण सघनता डेटा पर निर्भरता शहर की सीमा के बाहर के स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को संबोधित करना जटिल बनाती है।
- अधिकांश उपाय द्वितीयक अग्रदूतों को संबोधित किए बिना प्राथमिक पीएम उत्सर्जन को लक्षित करते हैं।

बुनियादी ढाँचा और निर्णय-समर्थन प्रणालियाँ:

- दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों को छोड़कर, किसी अन्य शहर के पास वायु गुणवत्ता का प्रभावी ढंग से पूर्वानुमान और प्रबंधन करने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा नहीं हैं।

एनसीएपी की सफलता के लिए आवश्यकताएँ:

- कुशल जमीनी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नौकरशाही लालफीताशाही में कमी और मानकीकृत तकनीकी मूल्यांकन का उपयोग आवश्यक है।
- वार्षिक औसत पीएम सांदर्भ में कमी के आधार पर वित्त पोषण प्रदर्शन से जुड़ी हुई है; इसलिए, प्रभावी बजट और समय प्रबंधन आवश्यक है।

स्वच्छ वायु के लिए समग्र रणनीति:

- एनसीएपी की सफलता कठोर वैज्ञानिक अध्ययन, रणनीतिक धन आवंटन और नियंत्रण उपायों के त्वरित, प्रभावी कार्यान्वयन के संयोजन पर निर्भर करती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

कोबरा में विषाक्त पदार्थों के लिए शक्तिशाली एंटीडोट्स (मारक):

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी।

प्रसंग:

- विषैले साँपों के काटने से प्रतिवर्ष 100,000 से अधिक मौतें होती हैं, साथ ही अतिरिक्त 400,000 लोग स्थायी विकलांगता से पीड़ित होते हैं।
- ये घटनाएं मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करती हैं, अकेले भारत में प्रति वर्ष लगभग 58,000 मौतें होती हैं।

उपेक्षित संकट:

- विश्व स्तर पर सर्पदंश को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है और इसकी उच्च मृत्यु दर के बावजूद इसे "गरीब आदमी की बीमारी" माना जाता है।
- यह स्थिति वर्ष 2017 में उलट गयी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने इसे उच्च प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया।

पुराना एंटीवेनम उत्पादन:

- वर्तमान एंटीवेनम उत्पादन पद्धति पुरानी हो चुकी है, जो घोड़ों को जहर का इंजेक्शन लगाने और एंटीबॉडी के लिए उनके रक्त का संग्रह करने पर निर्भर है।
- इस पद्धति की सीमाएँ हैं, जिनमें मनुष्यों में एलर्जी प्रतिक्रियाओं की संभावना और गैर-विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन शामिल है।

विषरोधी के लिए नवीन दृष्टिकोण:

- वेलकम ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक, विशेष रूप से भारत में, जहां जहर की संरचना में क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है, सांप के जहर की विविधता का मुकाबला करने के लिए मानव एंटीबॉडी का उपयोग करके एंटीवेनम/विषरोधी (antivenoms) विकसित कर रहे हैं।

श्री-फिंगर टॉक्सिन पर ध्यान देना:

- यह शोध एलैपिड सांप के जहर में प्रचलित श्री-फिंगर टॉक्सिन्स (3FTxs) पर केंद्रित है, जिसमें कोबरा और मांबा सांप शामिल हैं।
- ये विषाक्त पदार्थ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करते हैं, जिससे पक्षाघात और मृत्यु हो जाती है।

एंटीबॉडी स्क्रीनिंग:

- स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में जोसेफ जार्डिन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पशु-व्युत्पन्न एंटीबॉडी की परिवर्तनशीलता और दायरे को पार करते हुए, इन विषाक्त पदार्थों के खिलाफ सबसे प्रभावी लोगों की पहचान करने के लिए मानव एंटीबॉडी की व्यापक जांच की।

95Mat5 के साथ आशाजनक परिणाम:

- 95Mat5 नाम के एक एंटीबॉडी ने इन विट्रो और विवो में इन विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में व्यापक प्रभावशीलता दिखाई, चूहों में कई एलैपिड जहरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की, हालांकि यह किंग कोबरा जहर के खिलाफ कम प्रभावी था।

भविष्य के एंटीवेनम विकास के लिए निहितार्थ:

- यह अध्ययन अधिक लक्षित और व्यापक रूप से प्रभावी एंटीवेनम के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो संभावित रूप से एक सार्वभौमिक समाधान की ओर ले जाता है जो कई सांप प्रजातियों को संबोधित कर सकता है।

सतत अनुसंधान एवं विकास:

- 95Mat5 की सफलता एंटीबॉडी में आगे के शोध को प्रोत्साहित करती है जो अन्य विष विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर सकती है, जिसका लक्ष्य एक व्यापक एंटीवेनम है जो सांप के काटने के वैशिक प्रभाव को कम कर सकता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

भारतीय नाविक अस्थिर समुद्री क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के हकदार हैं:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से सम्बंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: लाल सागर संकट (Red Sea Crisis)।

आईएमओ कानूनी समिति प्रस्तुतियाँ:

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ([International Maritime Organization's](#)) की कानूनी समिति के 111वें सत्र में नाविकों की सुरक्षा, अनुबंध की शर्तों और व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए तीन पत्र प्रस्तुत किए।

बढ़ती सुरक्षा चिंताएँ:

- ये प्रस्तुतियाँ लाल सागर और होम्युज जलडमरुमध्य जैसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों से प्रेरित थीं, जिससे भारतीय नाविकों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गईं।

व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता और नाविकों के लिए बेहतर संविदात्मक स्थितियों के महत्व पर जोर दिया है।

समुद्री धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- समुद्री धोखाधड़ी से निपटने में आईएमओ के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, भारत ने समुद्री डैकेती, सशस्त्र डैकेती, चरमपंथी हमलों, क्षेत्रीय संघर्षों और ड्रोन हमलों जैसे उभरते जोखिमों जैसे विभिन्न खतरों से निपटने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत की।

समुद्री डैकेती का पुनरुत्थान:

- सोमाली तट पर हाल के हमलों से समुद्री डैकेती के फिर से बढ़ने का संकेत मिलता है, जिसमें जहाज अपहरण की घटनाएं भी शामिल हैं।

गैरकानूनी भर्ती का प्रभाव:

- भारत ने नाविकों की भलाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गैरकानूनी भर्ती प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला और इन मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का आग्रह किया है।

भारतीय नाविकों की कमजोरियाँ:

- एमएससी एरीज़ (MSC Aries) की जब्ती और एमटी हीरोइक इदुन (MT Heroic Idun) की हिरासत जैसी घटनाएं भारतीय नाविकों की कमजोरियों को दर्शाती हैं, जिनके पास अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।

अपहरण एवं हमले:

- अपहरण की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से गिनी की खाड़ी में, जहाँ भारतीय नाविकों के खिलाफ हमले और धमकियों की कई घटनाएं हुई हैं।

समुद्र में मानवाधिकार पहल:

- इन चुनौतियों के जवाब में, भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने नाविकों के खिलाफ दुर्व्यवहार को उजागर करने और उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की हैं।

समुद्री डकैती में वृद्धि:

- हाल के आंकड़े गंभीर समुद्री डकैती की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देते हैं, जिसमें अधिकांश लक्षित मालवाहक जहाजों पर सशस्त्र समुद्री डाकू सवार हो जाते हैं।

समुद्री डकैती से निपटने में चुनौतियाँ:

- समुद्री डकैती से निपटने के लिए समुद्री डकैती-प्रवण महासागरों की अस्थिर प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों के बीच जहाजों पर निजी गार्डों की संभावित तैनाती सहित व्यापक समाधान की आवश्यकता होती है।

ईरानी शिर्पिंग कंपनियों द्वारा शोषण:

- ऐसी खबरें हैं कि ईरानी कंपनियों द्वारा भारतीय नाविकों का शोषण किया जा रहा है, जो उन्हें झूठे वादों का लालच देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप काम करने की स्थिति खराब हो जाती है और वे अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं।

भारतीय नाविकों के लिए भविष्य की संभावनाएँ:

- चुनौतियों के बावजूद, कई भारतीय नाविक अपने करियर के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भारत का लक्ष्य अगले 10 से 20 वर्षों में अपनी वैश्विक नाविक आबादी की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना है।

कोविड-19 के दौरान लचीलापन:

- कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नाविकों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिकता ने वैश्विक समुद्री बाजार में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

यूक्रेन-रूस संघर्ष का प्रभाव:

- इस संघर्ष ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में नए खिलाड़ियों के लिए अवसर खोले हैं और नाविकों के लिए बढ़े हुए सरकारी समर्थन और सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित किया है।

स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामाजिक मुद्दे:

विषय: महिला और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

मुख्य परीक्षा: स्वच्छता (Sanitation)।

ईपीआई रेंकिंग और प्रतिक्रिया:

- 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में भारत 180 देशों में सबसे निचले स्थान पर था।

- ईपीआई 11 श्रेणियों में 40 संकेतकों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति के आधार पर देशों का आकलन करता है।
- भारत सरकार ने ईपीआई की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह निष्पक्ष रूप से भारतीय परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

सरकारी विकास अभियान:

- पिछले एक दशक में, मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (Swacch Bharat Mission (SBM)), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सहित कई विकास अभियान शुरू किए हैं।
- इन मिशनों का उद्देश्य जीवन स्तर को बढ़ाना और WASH (Water, Sanitation, and Health/जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) और स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों का समाधान करना है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अवलोकन:

- खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एसबीएम राजनीतिक रूप से सफल कहा जा सकता है, लेकिन स्वच्छता नौकरियों में जाति-आधारित भूमिकाओं को कायम रखने के लिए इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है।

एसबीएम कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- केंद्र सरकार ने भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट और अध्ययन अन्यथा संकेत देते हैं, शौचालयों की खराब निर्माण गुणवत्ता और विशेष रूप से मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच की कमी की ओर इशारा करते हैं।
- मैन्युअल (मानव द्वारा) अपशिष्ट प्रबंधन को बदलने के लिए बनाई गई बड़ी, पूँजी-गहन प्रौद्योगिकियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं, जिससे खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण संसाधनों की कमी और स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है।

- निजी ठेकेदारों की भागीदारी के कारण स्वच्छता संबंधी भूमिकाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लगातार रोजगार मिलता रहा है, जिससे जातिगत भेदभाव और भी गहरा हुआ है।

तकनीकी हस्तक्षेप और विफलताएँ:

- सरकार ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधानों को बढ़ावा दिया है, जैसे अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र और जैविक मिथेनेशन, जो सफल परिणाम देने में काफी हद तक विफल रहे हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए महंगी मशीनरी और वाहनों में निवेश को बड़े ठेकेदारों को सौंप दिया गया है, जिससे जाति-आधारित रोजगार प्रथाओं को कायम रखते हुए स्वच्छता को लाभ-संचालित क्षेत्र में बदल दिया गया है।

नगर पालिकाओं में कर्मचारियों के मुद्दे:

- इस लेख में शिमला नगर निगम जैसे विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया गया है, जिसमें स्वच्छता निरीक्षकों की कमी है, और अन्य नगर पालिकाओं में भी पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की पर्याप्त कमी है, जिससे स्वच्छता प्रबंधन की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।

ईपीआई प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव:

- पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की विफलताओं ने ईपीआई में भारत के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

विकास मॉडल समालोचना:

- लेख बताता है कि भारत का विकास मॉडल टिकाऊ नहीं है, जैसा कि ईपीआई द्वारा उजागर किया गया है।

- इसमें जलवायु परिवर्तन और बुनियादी मानवाधिकारों के बीच संबंध पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभाव के आलोक में विकास नीतियों के पुनर्मूल्यांकन का आव्वान किया गया है।

प्रोलिम्स तथ्य:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि पशु-मानव संघर्षों का समाधान नहीं किया गया तो कोई भी जंगल या वन्यजीव नहीं बचेगा:

- सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी:** सर्वोच्च न्यायालय ने वनों और वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए मानव-वन्यजीव संघर्षों (human-wildlife conflicts) के गंभीर खतरे पर जोर दिया, और एक ऐसे संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो जानवरों और मनुष्यों दोनों के अधिकारों पर विचार करता है।
- न्यायमूर्ति बी.आर.गवई की टिप्पणी:** न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जानवरों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को हल किए बिना, जंगल और वन्यजीव जीवित नहीं रह सकते।
- मामले की पृष्ठभूमि:** इस मामले में असम के पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमाओं का सीमांकन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित स्थानीय ग्रामीणों के अधिकारों को संबोधित करना शामिल था।
- असम सरकार की पहल:** असम सरकार ने वन्यजीवों और मानव निवासियों दोनों की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्य की सीमाओं में बदलाव की सिफारिश करने के लिए मुख्य सचिव (वन) के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया।
- सर्वेक्षण और प्रस्ताव:** अभ्यारण्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण और मानचित्रण पूरा कर लिया गया, जिसमें विशेष रूप से बढ़ती गैंडों (rhinoceros) की आबादी को ध्यान में रखते हुए, बसने वालों और वन्यजीव संरक्षण के लिए भूमि को संतुलित करने वाले संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया।

- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका:** अभ्यारण्य के लिए राज्य के प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना है और आगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जानी है।
- **वन्यजीव प्रतिनिधियों का समावेश:** अदालत ने वन्यजीव संबंधी चिंताओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष समिति में मुख्य वन्यजीव वार्डन और पोबितोरा अभ्यारण्य के फील्ड निदेशक को शामिल करने का आदेश दिया है।
- **पर्यावरण कार्यकर्ताओं का सम्मान:** न्यायमूर्ति गवर्नर ने पर्यावरण सक्रियता के महत्व को स्वीकार किया लेकिन वन्यजीव संरक्षण मुद्दों के मानवीय पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **कानूनी कार्रवाइयां:** 13 मार्च को, सर्वोच्च न्यायालय ने पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के फैसले पर रोक लगा दी, जो पर्यावरण प्रशासन की देखरेख में अदालत की सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ईवीएम माइक्रोकंट्रोलर पार्टियों या उम्मीदवारों को नहीं पहचानते:

- **माइक्रोकंट्रोलर प्रकृति:** सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में माइक्रोकंट्रोलर को "अज्ञेयवादी" (agnostic) बताया, जिसका अर्थ है कि वे राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को नहीं पहचानते हैं बल्कि केवल मतदाता बटन दबाने को पंजीकृत करते हैं।
- **अंत: परिवर्तनीय बटन:** न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बताया कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम के बटन आपस में बदले जा सकते हैं, जिससे विशिष्ट पार्टियों को कोई भी निश्चित बटन आवंटित करने से रोका जा सकता है।
- **निर्माता प्रोग्रामिंग:** ईवीएम (EVM) की प्रोग्रामिंग निर्माताओं द्वारा इस बात की पूर्व जानकारी के बिना पूरी की जाती है कि चुनाव में किस पार्टी को कौन सा बटन सौंपा जाएगा।
- **कानूनी चुनौती और हेराफेरी संबंधी चिंताएँ:** यह मामला उन याचिकाओं से उत्पन्न हुआ, जिनमें दावा किया गया था कि ईवीएम प्रणाली गैर-पारदर्शी है और छेड़छाड़ की आशंका है।

- **स्रोत कोड गोपनीयता:** अदालत ने यह तर्क देते हुए ईवीएम स्रोत कोड का खुलासा करने के खिलाफ फैसला सुनाया कि इससे संभावित दुरुपयोग होगा और प्रणाली की अखंडता से समझौता होगा।
- **अदालत की कार्यवाही:** न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन ईवीएम और वीवीपीएटी संचालन के संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission (EC)) के लिए अतिरिक्त प्रश्नों के साथ फिर से बैठक की।
- **चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया:** उप चुनाव आयुक्त ने अदालत के प्रश्नों को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम (मतपत्र इकाइयाँ, नियंत्रण इकाइयाँ और वीवीपीएटी) के सभी हिस्सों में माइक्रोप्रोसेसर होते हैं जो चुनाव के बाद ईवीएम के लिए एक बार प्रोग्राम करने योग्य और विस्तृत भंडारण प्रोटोकॉल होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा लॉच किया गया था।
2. समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 2. 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इससे सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मिशन का उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना था।
2. एसबीएम का लक्ष्य अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति हासिल करना है, इसके बाद 2024-25 तक ओडीएफ प्लस में परिवर्तन का लक्ष्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईंजेड) किसी देश के भूमि तट से से प्रारम्भ होकर 200 समुद्री मील (370 किमी) दूर तक फैला हुआ महासागर का क्षेत्र है।
2. प्रादेशिक समुद्र तटीय राज्य की आधार रेखा से 12 समुद्री मील की सीमा तक फैला हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग के संबंध में हालिया विवाद के आलोक में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इनका प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था।
2. इसे चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं। इसे दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया है, ये निम्न हैं: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर (रक्षा मंत्रालय के तहत) और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत)।

प्रश्न 5. मानव-पशु संघर्षों से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कितने सरकारी उपाय हैं?

1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

- ये तीनों मानव-पशु संघर्ष से निपटने के सरकारी उपाय हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. मानव-वन्यजीव संघर्ष वन्यजीवन और आसपास के समुदायों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस-3, पर्यावरण] (Human-wildlife conflicts exert significant direct impacts on both wildlife and nearby communities. Discuss. (250 words, 15 marks) [GS-3, Environment])

प्रश्न 2. चुनावी पारदर्शिता और अखंडता पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के निहितार्थ की जांच कीजिए, और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का विश्लेषण भी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस-2, राजन्यवस्था] (Examine the implications of the SC's stance on electoral transparency and integrity, and analyze the role of the Election Commission of India in ensuring the credibility of the electoral process. (250 words, 15 marks) [GS-2, Polity])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर विलक्षक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

